कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स
अनिकेत विहार, पो0 डिफेन्स कालोनी, दून यूनिवर्सिटी रोड, देहरादून

पत्रांक   /नि0फ0सो0चि0/देहरादून   मार्च 2022

कार्यालय ज्ञाप

विषयः— सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 5के अंतर्गत, पंजीकृत सोसाइटी की स्थाई सम्पत्ति के अंतरण, बंधन, प्रभाकरण, विक्रय, दान, विनिमय तथा पॉच वर्षो के अधिक की अवधि के लिए पट्टा अथवा अप्रतिसंहरणीय अनुज्ञप्ति की अनुमति लिए जाने हेतु दिशा निर्देश।

उत्तराखण्ड शासन, विधायी एंव संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना सं0 26/XXXVI(3)/2022/84(1)/2021, देहरादून, दिनांक 25 जनवरी 2022 के अनुपालन में उत्तराखण्ड में पंजीकृत सोसाइटियों के द्वारा उपरोक्त विषयक अनुमति लिये जाने हेतु निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः—

1. स्थाई सम्पत्ति(Immovable property) के अंतरण(Transfer), बंधन(Mortgage), प्रभाकरण(Charge), विक्रय(Sale), दान(Gift), विनिमय (Exchange), तथा पॉच वर्षो के अधिक की अवधि के लिए पट्टा(Lease), अथवा अप्रतिसंहरणीय अनुज्ञप्ति(Irrevocable licence), की अनुमति लेने की इच्छुक सोसाइटी का पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र वैध हो, जिसकी पुष्टि हेतु संबंधित जनपद के डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स के कार्यालय के द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. सोसाइटी के पंजीकृत स्मृति पत्र एंव बाईलॉज की संबंधित जनपद के डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स के कार्यालय के द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. संबंधित जनपद के डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स साोसाइटीज एंव चिट्स कार्यालय के द्वारा, सोसाइटी की पंजीकृत/मान्य प्रबंध समिति की सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि को प्रस्तुत किया जाना होगा।
4. सोसाइटी के पंजीकृत बाईलॉज के अनुसार, संबंधित विषय के बारे में, आहूत की गयी सोसाइटी की प्रबंध समिति तथा साधारण सभा के द्वारा, 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव की, प्रबंध समिति के 3 सदस्यों के हस्ताक्षरों से सत्यापित टंकित प्रतिलिपि, को प्रस्तुत किया जाना होगा, जिसमें यह उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत, प्राप्त स्थाई सम्पत्ति अथवा प्राप्त धनराशि का उपयोग, सोसाइटी के पंजीकृत किन उद्दश्यों की पूर्ति हेतु अथवा पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किन—किन चैरिटेबिल कार्यो के संचालन हेतु किया जायेगा।
5. सोसाइटी की गत वर्ष की सी0ए0 के द्वारा, आडिटेड बैलेन्स शीट की एक प्रति को प्रबंध समिति के 3 सदस्यों के हस्ताक्षरों से सत्यापित करके प्रस्तुत किया जाना होगा।
6. यदि सोसाइटी के द्वारा, अपनी स्थाई सम्पत्ति को किसी अन्य पंजीकृत सोसाइटी/पक्ष को अंतरण(Transfer), बंधन(Mortgage), प्रभाकरण(Charge), विक्रय(Sale), दान(Gift), विनिमय (Exchange), तथा पॉच वर्षो के अधिक की अवधि के लिए पट्टा(Lease), अथवा अप्रतिसंहरणीय अनुज्ञप्ति(Irrevocable licence) हेतु प्रस्तावित करने हेतु आवेदन करती है, तो इस विषयक, दूसरी सोसाइटी/पक्ष से, यदि दूसरा पक्ष सोसाइटी है, तो उस दशा में संबंधित बिंदु सं0 1 से 5 में वांछित समस्त प्रपत्रों को भी प्रस्तुत करना होगा, और यदि दूसरा पक्ष व्यक्ति है, तो बिंदु सं0 9 के अनुसार, प्रपत्रो को प्रस्तुत करना होगा।
7. उपरोक्त अनुमति विषयक, किसी व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले, राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में इस आशय का एक विज्ञापन को प्रकाशित कराना होगा कि इस नाम एंव पते (सोसाइटी का नाम एंव पता) की सोसाइटी के द्वारा, अपनी स्थाई सम्पत्ति को किसी अन्य पंजीकृत सोसाइटी अथवा व्यक्ति को अंतरण(Transfer), बंधन(Mortgage), प्रभाकरण(Charge),

विक्रय(Sale), दान(Gift), विनिमय (Exchange), तथा पॉच वर्षो के अधिक की अवधि के लिए पट्टा(Lease), अथवा अप्रतिसंहरणीय अनुज्ञप्ति(Irrevocable licence) हेतु प्रस्तावित अनुमति हेतु अथवा अपने इन उद्‌दश्यों...... की पूर्ति इस स्थान की...स्थान का नाम....भूमि क्रय करने/भवन निर्माण करने हेतु अनुमति लिये जाने हेतु, रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स उत्तराखण्ड के कार्यालय में आवेदन किया गया है। यदि किसी व्यक्ति, सोसाइटी अथवा किसी वित्तीय संस्थान बैंक इत्यादि को इस संबंध में कोई आपत्ति हो अथवा कुछ कहना हो, तो वह इस विज्ञापन के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर, रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स, उत्तराखण्ड, अनिकेत विहार, पो0 डिफेन्स कालोनी, दून यूनिवर्सिटी रोड, देहरादून के कार्यालय में अपनी आपत्ति/कथन प्रस्तुत कर सकता है। इस विज्ञापन की एक मूल प्रति को भी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

8. सोसाइटी की सम्पत्ति की सूची, जिसका अंतरण/क्रय/विक्रय/लीज किया जाना प्रस्तावित है। भूमि की दशा में खतौनी/दाखिले–ए–खारिज की सक्षम स्तर से अद्यावधिक (जो कि 6 माह से पूर्व की ना हो) प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।
9. आवेदक सोसाइटी के अध्यक्ष/सचिव के द्वारा इस आशय का नोटरी सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह अंकन किया जाना होगा कि इस आवेदक सोसाइटी के द्वारा, बंधक की जाने वाली इस सम्पत्ति/भवन पर पूर्व में किसी वित्तीय संस्था/बैंक से कोई ऋण नही लिया गया है तथा प्रस्तावित यह सम्पत्ति/भवन पूर्व में किसी अन्य वित्तीय संस्था/बैंक के नाम बंधक नही की गयी है तथा आवेदन पत्र के साथ जमा कराये गये समस्त प्रपत्र हस्ताक्षरों सहित सत्य है। यदि शपथ पत्र में दिये गये तथ्य भविष्य में असत्य पाये जाते है, तो उसके लिए मैं पूर्णरूप से उत्तरदायी रहूॅगा।
10. आवेदक सोसाइटी तथा दूसरी सोसाइटी/पक्ष जिसकी भूमि क्रय किया जाना अथवा जिस भूमि की लीज किया जाना प्रस्तावित है अथवा जिस भूमि पर कोई भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, के मध्य एक नोटिरी सत्यापित एक एग्रीमेन्ट तैयार किया जाना होगा, जिसमें लीज की शर्ते, क्रय विक्रय संबंधी विवरण, भवन निर्माण का विवरण तथा भूमि का रकबा इत्यादि अंकित होगा, की प्रति को प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त समस्त प्रपत्रों को संबंधित जनपद के डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स के कार्यालय में जमा कराने के उपरांत, जनपद के डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा समिति की सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की जायेगी जिसमें समिति के कार्यवाही रजिस्टर, साधारण सभा के सदस्यों का रजिस्टर तथा सदस्यता शुल्क की रसीद प्रस्तुत करेगी, जिसकी जॉच पश्चात जनपद के डिप्टी रजिस्ट्रार की संस्तुति सहित, इस कार्यालय में प्रपत्रों को प्रस्तुत करने के उपरांत, समिति को अनुमति दिये जाने हेतु, अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के द्वारा विचार किया जायेगा।

रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स
उत्तराखण्ड

पत्रांक /नि0फ0सो0चि0/देहरादून मार्च 2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर सचिव, वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन, 4 बी सुभाष रोड, देहरादून।
2. डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स देहरादून/हल्द्वानी/अल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ़/उधमसिंह नगर/हरिद्वार/पौड़ी/नई टिहरी/चमोली/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग/चम्पावत को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा करके उचित कार्यवाही हेतु।
3. कार्यालय प्रति।

रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स